भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *146

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

श्रमिकों का कल्याण

***146. श्रीमती मालविका देवी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि लोगों को उनके गृहनगर में ही रोजगार मिले ताकि उन्हें काम करने के लिए दूर-दराज के स्थानों पर न जाना पड़े;

(ख) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द उनके गृहनगर लौटाया जाए और उनके परिवार को कष्ट न उठाना पड़े; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि जिन परिवारों ने अपने एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है उन्हें पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास और दौड़-भाग न करनी पड़े?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"श्रमिकों का कल्याण" के संबंध में श्री श्रीमती मालविका देवी द्वारा दिनांक 10.03-2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *146 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): युवाओं के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, (निवास, शैक्षिक योग्यता आदि के आधार पर), करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। दिनांक 28.02.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 4.7 करोड़ से अधिक रिक्तियां जुटाई गई हैं।

अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम**,** 1979 की धारा 16 (छ) के अनुसार "16. किसी स्थापन के, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, कार्य के संबंध में अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार वही नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह,-

(छ) ऐसे किसी कर्मकार को घातक दुर्घटना या उसको शारीरिक क्षति हो जाने की दशा में दोनों राज्यों के विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तथा कर्मकारों के नातेदारों को भी रिपोर्ट करें।

इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 में, अंतर-राज्य प्रवासी कामगारों के लिए प्रावधानों में काम की उपयुक्त स्थिति, घातक दुर्घटना या गंभीर शारीरिक चोट के मामले में, नियोक्ता/ठेकेदार द्वारा दोनों राज्यों के निर्दिष्ट अधिकारियों और कामगार के करीबी रिश्तेदारों को सूचित करना, वर्ष में एक बार यात्रा भत्ता तथा एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शामिल है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा सभी पेंशन मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है जिसमें अन्य शहरों में चले जाने वाले सेवानिवृत्त सदस्यों के पेंशन संबंधी मामले भी शामिल हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक केन्द्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) भी अनुमोदित की गई है जिसमें पेंशनभोगियों के बैंक खाते में पेंशन सीधे जमा होने का प्रावधान है चाहे वे किसी भी क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए हों।

*****